Court of Addl. District & Sessions Judge-II, Rosera
S.T. No. 164/2022+165/2022+22/2022
CIS- 34/2022

25.01.2024 सभी 4 अभियुक्तों की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसे केवल आज भर के लिए स्वीकृत किया जाता है।

अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष पप्पू सिंह उर्फ समीर भारती की ओर से धारा–227 द0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विभूतिपुर थाना काण्ड सं0–169/2020 अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी धारा–363,365 भा0द0वि0 में दर्ज हुआ। कांड दैनिकी की कंडिका–05 में घटना स्थल, कंडिका–06 में पीड़ित अपहृत की माँ, कंडिका–07 में पिता, कंडिका–08 में पुत्री का ब्यान दर्ज है, जिसमें किसी ने किसी का नाम उजागर नही किया। इस वाद में दिनांक–29.07.2020 को अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 कृष्णा सिंह थे, किन्तु फिर दिनांक 29.07.2020 को दूसरे अनुसंधानक राजीवलाल पंडित को प्रभार दिया गया। प्रभार कांड दैनिकी सं0–37 में दर्ज हैं। अनुसंधानकर्ता राजीवलाल पंडित स्थानीय राजनीतिक कुचक्र एवं षडयंत्र से अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाया। काण्ड दैनिकी की कंडिका 71 में एवं 72 में किये गये स्वीकारोक्ति ब्यान मे दर्ज किया गया है कि घटना के लगभग 1 से डेढ़ माह पूर्व शाम को पैक्स गोदाम पर दारू पीने के बाद पप्पु सिंह और घनश्याम सिंह में तीखी नोंक–झोंक हुई थी। इसके बाद पप्पु सिंह, घनश्याम सिंह को दो–चार फैट मारा था। काण्ड दैनिकी में यह भी स्पष्ट है कि दीपक कुमार को ग्राम शिवनाथपुर में 11:50 बजे पहुंचकर उठाता है तथा 15:30 में थाना लाता है, जबकि शिवनाथपुर से थाना की दुरी मात्र 2 किलोमीटर है तथा स्वीकारोक्ति ब्यान 17:30 बजे एवं अभिनंदन कुमार का स्वीकारोक्ति ब्यान 18:30 बजे लेता हैं अभिनंदन ने कहा कि पप्पू सिंह एवं घनश्याम सिंह में तीखी नोंक–झोंक हुआ था। पप्पू ने घनश्याम को दो–चार फैट मारा था, यह बात मुझे दीपक ने बताया। राम उचित महतो के मृतक पौत्र के दाह–संस्कार सिंघिया घाट में करने के उपरान्त प्रार्थी अप्राथमिकी अभियुक्त को दिनांक 03.10.2021 को अनुसंधानकर्ता ने गिरफ्तार किया तथा डी0एस0पी0 रोसड़ा के यहां लाया। रोसड़ा थाना में ही रखा। प्रार्थी अभियुक्त के साथ थाना में मारपीट किया। जान मारने की धमकी देकर सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिया तथा अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधानकर्ता ने धारा–363 एवं 365 भा0द0वि0 में आरोप पत्र समर्पित किया। अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा लिए गये साक्षियों के ब्यान में केस की दैनिकी कंडिका–67 के अनुसार दीपक कुमार तथा अभिनंदन कुमार दोनों को पूछताछ हेतु थाना पर लाकर स्वीकारोक्ति ब्यान दर्ज किया। दोनो का स्वीकारोक्ति ब्यान कंडिका–71 तथा 72 में दर्ज है। कांड दैनिकी की कंडिका 91 में अपहृत घनश्याम सिंह का बहनोई भगत सिंह, ग्राम–पतला, थाना–छौड़ाही ओ0पी0, जिला– बेगुसराय का ब्यान दर्ज है, जो दिनांक 02.07.2020 को अपहृत साला घनश्याम सिंह का पता लगाने के लिए आता है,

जबकि घटना की तिथि 29.06.2020 बतायी गई है। इसलिए कंडिका– 91 में साक्षियों का ब्यान दर्ज कानूनन स्वीकार्य नही है तथा अपराध साबित नही करता है। इसी तरह कांड दैनिकी की कंडिका 92 में साक्षी भगत सिंह की पत्नी तथा अपहृत घनश्याम सिंह की बहन रेखा कुमारी का ब्यान दर्ज है, जिसमें वह अपने पति के साथ दिनांक 02.07.2020 को गुड़गांव से ग्राम–शिवनाथपुर घटनास्थल पर आती है दोनों चश्मदीद गवाह नही हैं। कानूनन स्वीकार्य है अपराध साबित नही करता है। कांड दैनिकी के कंडिका–93 में अपहृत घनश्याम सिंह का साला श्रवण सिंह, ग्राम–चोचाही का ब्यान दर्ज है के अनुसार दिनांक 30.06.2020 को जब घनश्याम सिंह अपने घर नहीं आने की सूचना हुई तो थाना पर बहन के द्वारा आवेदन दिया गयां। घनश्याम सिंह के बारे में पता करने पर घनश्याम सिंह बाराती गया है के साथ अन्य ब्यान है, जो चश्मदीद गवाह नही है। कांड दैनिकी के कंडिका–02 में सूचिका का पुर्नब्यान दर्ज है साथ ही कंडिका 94 में वादिनी का पुछताछ दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में दिए गए आवेदन वादिनी/सूचिका का पुर्नब्यान तथा कंडिका–94 में वादिनी का अभिकथन संदेह एवं संभावानाओ पर आधारित है चश्मदीद गवाह नही है तथा जानकारी किससे प्राप्त हुई है अभिकथित नही है, जो साक्ष्य स्वीकार्य करने योग्य नही है। चुँकि कंडिका 94 में अभिकथित ब्यान किन्ही के बहकावें पर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जानबुझकर आवेदक को फँसाने के लिए लिखा गया है। अनुसंधानक के अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य संग्रह करने में पीछे रहा क्योंकि बाराती में जितनी गाड़ियां गई उसका पंजीयन संख्या, ड्राईवर का नाम तथा उस ड्राईवर से पूछताछ नही किया। शादी में फोटोग्राफी किया जाता है तथा फोटोग्राफी हुई थी। अनुसंधानक ने साक्ष्य संग्रह नही किया। आवेदक पप्पू सिंह उर्फ समीर भारती के विरूद्ध केस दैनिकी में सीधा प्रत्यक्ष इसके विरूद्ध साक्ष्य नही है। संभावनाओं पर इसे अनुसंधानकर्ता के द्वारा आरोपित किया गया है जो कानून की दृष्टि में गलत है जिस कारण आवेदक के विरूद्ध आरोप नही बनता है। अंत में विद्वान अधिवक्ता आवेदक पप्पू सिंह उर्फ समीर भारती को आरोप से मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

इसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत मामले में सफाई पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया दिनांक–13.04.2022 का आवेदन कानून के दृष्टिकोण से पोषणीय नही है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2023 को कुछ तथ्यों को उजागर किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–364, 302, 102बी/34 के अंतर्गत आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किया गया आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

Court of Addl. District & Sessions Judge-II, Rosera
S.T. No. 164/2022+165/2022+22/2022
CIS- 34/2022

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला सूचक के द्वारा धारा–363 एवं 365 भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात लोगों के विरूद्ध दाखिल किया गया। अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा–363, 365 एवं 120बी/34 के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया, तथा वाद में अनुसंधाकनर्ता द्वारा पूरक आरोप–पत्र धारा–302 एवं 201/34 के अंतर्गत समर्पित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए, धारा–363, 365, 120बी, 302, 201/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध औपचारिक प्राथमिकी वाद–दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के संदर्भ में कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सूचक द्वारा प्रस्तुत किये गए मामले के संदर्भ में, अनुसंधानकर्ता के द्वारा पर्याप्त अनुसंधान करने के पश्चात् वाद–दैनिकी में अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए, आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। इस संदर्भ में, सफाई पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन वाद के वर्तमान परिस्थिति में पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल किए गए दिनांक 13.04.2022 आवेदन को **खारिज** किया जाता है और अभिलेख को अरोप गठन हेतु निश्चित किया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को सदेह उपस्थित रहें, अन्यथा बंध–पत्र खंडित कर दिया जाएगा।

दिनांक 09.02.2024 वास्ते आरोप गठन।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय